संख्या-1586/2026/951/22-2-2026-17(581)/2026

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 नवम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत यादव पुत्र श्री विरेन्द्र यादव, निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-20825/प्रो०अनु०(7)-फार्म-ए सीमित कारावास/15/2026 (बै० दिनांक 20.04.2026) दिनांक-26.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत यादव पुत्र श्री विरेन्द्र यादव, जो ग्राम-पनिचा, थाना-मनियर, जनपद-बलिया का निवासी है। दिनांक-16.10.2019 को अभियुक्त द्वारा अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा की नातिन का मुँह बाँधकर अपने साथ ले जाकर जबरदस्ती बारी-बारी से बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। बन्दी को सत्र परीक्षण सं0- 110/2020, भा0द0वि0 की धारा- 363, 366 व सहपठित धारा-120बी के अंतर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष सं0-08, बलिया के आदेश दिनांक-09.11.2023 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 01 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 03 वर्ष, 05 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-16.10.2019 को अभियुक्त द्वारा अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा की नातिन का मुँह बाँधकर अपने साथ ले जाकर जबरदस्ती बारी-बारी से बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

सिद्धदोष बंदी अजीत यादव पुत्र विरेन्द्र यादव को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत यादव (बन्दी संख्या-756/2024) पुत्र श्री विरेन्द्र यादव, निवासी जनपद-बलिया की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1586/2026/1079(1)/22-2-2026 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2- पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-1586/2026/951/22-2-2026-17(581)/2026

दिनांकः 06 नवम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत यादव पुत्र श्री विरेन्द्र यादव, जो ग्राम-पनिचा, थाना-मनियर, जनपद-बलिया का निवासी है। दिनांक-16.10.2019 को अभियुक्त द्वारा अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा की नातिन का मुँह बाँधकर अपने साथ ले जाकर जबरदस्ती बारी-बारी से बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। बन्दी को सत्र परीक्षण सं0- 110/2020, भा0द0वि0 की धारा- 363, 366 व सहपठित धारा-120बी के अंतर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष सं0-08, बलिया के आदेश दिनांक-09.11.2023 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 01 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 03 वर्ष, 05 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-16.10.2019 को अभियुक्त द्वारा अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा की नातिन का मुँह बाँधकर अपने साथ ले जाकर जबरदस्ती बारी-बारी से बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अजीत यादव पुत्र विरेन्द्र यादव को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।